


कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-न-5(2)पु.फो./उ.नि भर्ती/2023/ 4246 दिनांक- 04 अक्टूबर, 2023

विज्ञप्ति

पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर द्वारा उप निरीक्षक पुलिस, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 में सफल अभ्यर्थियों की द्वितीय नियुक्ति सूची आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस की वैबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश पृथक से नहीं भेजे जावेगे। अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति व बन्ध-पत्र (AGREEMENT) व शपथ पत्र के प्रपत्र की पूर्ति कर राजस्थान पुलिस की वैबसाईट www.police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 13.10.2023 तक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में उपस्थिति देंगे। दिनांक 13.10.2023 तक उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। सफल रहे अन्य अभ्यर्थियों की शेष औपचारिकताएं पूर्ण होने पर पृथक से नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जायेंगे।


(सचिन मित्तल) ५१०८३
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-न-5(2)पु.फो./उ.नि भर्ती/2023/ **4245**

दिनांक-**04** अक्टूबर 2023

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी वर्ष 2021 की विज्ञप्ति संख्या-08/परीक्षा/SI-PC/EP-1/2020-21 दिनांक 03.02.2021, शुद्धि पत्र संख्या-02/2021-22 दिनांक 07.06.2021 के क्रम में आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (सीधी भर्ती) हेतु सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 17 से 21 तक के अन्तर्गत तथा नियमों की अनुसूची में निहित शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन आदि की समस्त शर्तों की पूर्ति कर लेने एवं संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(26)गृह-1/2017 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के फलस्वरूप निम्न अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक (एपी)/उप निरीक्षक (आईबी)/ प्लाटून कमाण्डर (आरएसी)/ उप निरीक्षक (एमबीसी) के पद पर राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आदेश जारी होने की दिनांक से 13.10.2023 तक उपस्थिति देने पर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष के दौरान वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ-15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची IV की L-11 में स्थिर पारिश्रमिक रूपये 26500/- प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

द्वितीय नियुक्ति सूची

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी / पिता का नाम	मैरिट	गृह जिला	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1.	RAJIV BISHNOI / BHAGWANA RAM BISHNOI	70	JALORE	23-Mar-94	BSC
2.	BHANWAR LAL PANWAR / HEERA LAL PANWAR	93	JALORE	10-Apr-94	BA
3.	GOVIND KUMAR YADAV / KAJOD MAL YADAV	137	JAIPUR	04-Oct-91	BCA
4.	VINOD KUMAR SHARMA / HANUMAN SAHAY SHARMA	147	JAIPUR	04-May-94	BSC
5.	ASHISH GAHLOT / KAMAL CHAND GAHLOT	175	BIKANER	07-Aug-95	BCA
6.	AJEET GODARA / SUBHASH GODARA	232	SRI GANGANAGAR	09-Feb-91	BA
7.	KUNAL CHOUDHARY / MADHA RAM	234	JODHPUR	01-Jul-95	BA
8.	GAJENDRA PUSHKARNA / BADRI LAL PUSHKARNA	366	UDAIPUR	12-Oct-97	TDC COMM

9.	NARENDRA SINGH / JAGDISH SINGH	456	SIKAR	07-Feb-90	BA
10.	RAJESHWARI / BABU LAL	542	JALORE	10-Nov-99	BA
11.	KAMAL KUMAR MEENA / RANG LAL MEENA	993	JAIPUR	05-Apr-93	B.COM
12.	NISHA SOLANKI / BOHARA RAM	1012	JODHPUR	05-Jul-96	B TECH
13.	DINESH VARHAT / AMRIT LAL VARHAT	1118	DUNGARPUR	30-Jun-96	TDC SCIENCE
14.	ARUN KUMAR MAHENDRA / LAL CHAND MAHENDRA	1629	KOTA	24-Nov-93	B TECH
15.	SATYA NARAYAN TANDI / TEJU RAM TANDI	2003	AJMER	06-Jan-82	BA
16.	BHUPENDRA SINGH / SULTAN RAM	2020	SIKAR	29-May-84	BA
17.	SURENDRA SINGH RAJPUT / MADAN SINGH RAJPUT	2111	SIKAR	07-Oct-85	BA
18.	VIKRAM SINGH / SHER SINGH	2256	CHURU	10-Aug-83	BA
19.	SANDEEP KAUR / BALVINDER SINGH	2969	SRI GANGANAGAR	02-Jun-91	BA

संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान अथवा संयुक्त प्रशिक्षण की समाप्ति पर नियुक्त प्रोबेशनरों को कैडर (एपी/ आईबी/ आरएसी/एमबीसी) आवंटन किया जावेगा।

परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 की अनुसूची V के अन्तर्गत वेतन भत्ते नियमानुसार देय होंगे एवं नियुक्ति दिनांक से अंशदायी पेंशन के सम्बंध में राज्य सरकार का आदेश क्रमाक प-12(3)वित्त-नियम/2022 दिनाक 19-05-2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है, जो प्रभावी होगा।

इस आदेश के साथ अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र (AGREEMENT)व शापथ पत्र के प्रोफार्मा एवं ज्वार्डिनिंग निर्देशों की प्रति संलग्न भेजी जा रही है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी रूपये 50/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बन्ध-पत्र एवं शापथ-पत्र तैयार कर अपनी उपस्थिति देंगे। बन्ध-पत्र एवं शापथ-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जायेगी। उपस्थिति के पश्चात बन्ध-पत्र पर अभ्यर्थी के पुनः हस्ताक्षर उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के समक्ष कराए जाकर सत्यापित किए जाएंगे।

अभ्यर्थी को बन्ध-पत्र व शापथ पत्र के प्रारूप भेजकर लेख है कि बन्ध-पत्र व शापथ पत्र की पूर्ति कर निर्धारित प्रोग्राम अनुसार प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में उपस्थित होवें तथा प्रशिक्षण के दौरान वहाँ खर्च एवं मैस एडवान्स हेतु रूपये 20,000/- प्रशिक्षण संस्थान में जमा करावें। केडिट्स के लिए प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य निर्देश की प्रति संलग्न हैं।

अभ्यर्थी दिनांक 13.10.2023 तक उपस्थित नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा, कि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है एवं इस दिनांक के तुरन्त पश्चात् ही इनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाएंगे।

उपरोक्त नियुक्तियां प्रोविजनल आधार पर प्रदान की जा रही हैं, जो उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में विभिन्न न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

ई.ओ.बी. नं.: 1454 /2023

(सचिन मिश्र)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)

राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव गृह-(ग्रुप-1)विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प-2(26)गृह-1/2017 दिनांक 19.01.2021 के क्रम में।
4. अति. महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय)/(प्रशिक्षण)/आईबी/आर्ड बटालियन्स, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि अध्यर्थियों से इयूटी ज्वार्डनिंग से पूर्व संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ पत्र पूर्ण भरवाने के पश्चात् ही इनकी उपस्थिति रिपोर्ट लेंगे एवं इस कार्यालय को ज्वार्डनिंग दिनांक से सूचित करायेंगे। इनके बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र नियमानुसार पूर्ण करवाकर ही ज्वार्डनिंग प्रदान करें। बन्ध-पत्र एवं शपथ-पत्र का प्रमाणीकरण उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा किया जायेगा।
6. महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर/ समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेज राजस्थान/ पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. उप विधि परामर्शी, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
8. ई.ओ.बी./आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

(भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड)

राजस्थान, जयपुर।

बेसिक कोर्स के लिए सामान्य निर्देश

निम्नलिखित सामान्य निर्देश पहले से प्रसारित पुलिस मुख्यालय के ज्वाईनिंग निर्देशों के अतिरिक्त लागू होंगे –

1. प्रशिक्षु अपनी उपस्थिति रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से मय तिथि एवं समय के संचित निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रशिक्षु की आवासीय व्यवस्था प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस आवास व्यवस्था के संबंध में उक्त अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. प्रशिक्षु के परिवार एवं उनके मेहमानों को प्रशिक्षण संस्थान में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी प्रशिक्षु स्कूटर, कार एवं मोटरसाईकिल अपने पास नहीं रखेगा।
4. सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान के कार्य संचालन के नियम तथा स्थाई आदेशों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षु ऐसे नियमों / विनियमों तथा स्थाई आदेशों की पालना हर समय करेंगे। प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा भी की जाती है। कि वह प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुशासन एवं शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे तथा प्रशिक्षु हमेशा निर्धारित वेशभूषा में रहेंगे। बनियान एवं लुंगी में घूमना पूर्णतः निषिद्ध है। डायनिंग हॉल में चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करें, परिसर में प्लास्टिक सामग्री, तम्बाकू पूर्णतया निषिद्ध है।
5. आउटडोर एवं इण्डोर कक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित स्थान पर चलाई जायेंगी।
6. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में रहना आवश्यक है। प्रशिक्षुओं को पास प्राप्त करने के उपरान्त ही कुछ समय के लिए परिसर छोड़ने की अनुमति होगी। विशेष परिस्थितियों में परिसर छोड़ने हेतु आउटपास जारी किये जायेंगे तथा पास के आधार पर प्रशिक्षुओं की अनुपस्थिति से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा।
7. प्रशिक्षुओं को विशेष आपातकालीन स्थिति तथा प्रशिक्षुओं के बच्चे, माता / पिता के निधन की स्थिति को छोड़कर किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रशिक्षण अवधि में सगाई एवं विवाह आदि का आयोजन न करें।
8. प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान परिसर में प्रशिक्षण अवधि में मंदिरापान करना सख्त मना है तथा प्रशिक्षण की कक्षाओं एवं परेड ग्राउण्ड में धूम्रपान पूर्णतः निषिद्ध है। प्रशिक्षुओं से उच्च स्तर के चरित्र एवं आचरण की अपेक्षा की जाती है।
9. प्रशिक्षुओं को अपना खाता पोस्ट ऑफिस / बैंक में खोल लेना चाहिए। एटीएम – सुविधा संस्था के मुख्य द्वार पर उपलब्ध है। अतः प्रशिक्षुओं को सलाह दी जाती है। कि अनावश्यक रूप से नकद राशि साथ नहीं रखें।
10. प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल के अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थान के आवासीय क्षेत्र में प्रवेश निषेध होगा।
11. प्रशिक्षुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ज्ञानवृद्धि हेतु प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित पुस्तकालय का उपयोग करेंगे।
12. मनोरंजन कक्ष का उपयोग ठीक ढंग से तथा टी०वी० का संचालन सावधानी पूर्वक किया जाए। सभी प्रशिक्षु मनोरंजन कक्ष में निर्धारित वेशभूषा में प्रवेश करेंगे।
13. प्रशिक्षण संस्थान परिसर में दोनों (ड्राई एवं वेट) प्रकार की कोपरेटिव कैन्टीन उपलब्ध हैं। प्रशिक्षु को ऑपरेटिव स्टोर के सदस्य बन सकते हैं।
14. सभी प्रशिक्षुओं को मैस एडवांस एवं वर्दी, पीटी ड्रेस, जूते व अन्य साजो-सामान खरीदने हेतु करीब 20,000 रुपये की आवश्यकता रहेगी। अतः सभी प्रशिक्षु आगमन पर उक्त राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
15. महिला प्रशिक्षुओं को हिदायत है कि वे अपने साथ कोई कीमती जेवरात आदि नहीं रखें।
16. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के लिए मोबाइल फोन का उपयोग निषिद्ध है।
17. आवासीय सुविधा निःशुल्क है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होते समय अपने साथ बैडशीट व मौसम के अनुसार कम्बल / रजाई लेकर आयें।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाध्य सरकार कर्मचारी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बन्ध-पत्र का प्रारूप डाक्टर बॉण्ड

यह बन्ध-पत्र आज दिनांक माह सन 200..... को एक पक्ष के पद पर नियुक्त श्री पुत्र श्री (जो इसमें आगे निवासी एतद पश्चात "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेगा) और दूसरे पक्ष के प्रथम जामिन श्री पुत्र श्री निवासी एवं द्वितीय जामिन श्री पुत्र श्री निवासी (जिन्हे इसमें आगे एतद पश्चात सामूहिक रूप से जामिन कहा जायेगा) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हे आगे एतद पश्चात सरकार कहा जायेगा) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि सरकार ने प्रशिक्षणार्थी को पद पर नियुक्ति हेतु चुना है।

और चूंकि नियमानुसार यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी को उस पद पर का स्वतंत्र रूप से प्रभार सम्भालने से पूर्व जिसके लिए उसे चुना गया है की अवधि का प्रशिक्षण और चूंकि सरकार इसमें आगे एतद पश्चात दी हुई शर्तों पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण में भेजने के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ सहमत हो गई है कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः पालन करने के लिए जामिन मजानत देंगे,

और चूंकि जामिन प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसकी कथित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए जमानत देने को सहमत हो गये हैं।

अतः अब यह विलेख निम्न बातों का साक्षी है कि-

- (1) कि सरकार के प्रशिक्षणार्थी को के पद पर नियुक्ति हेतु चयन करने तथा नियमानुसार उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के विचार से एवं कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी एतद द्वारा सरकार के साथ संबंधित करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूरे होने के बाद दो वर्ष के भोतर वह उपयुक्त कथित पद जिसके लिए कि वह चुना गया है, से न तो त्याग पत्र देगा और जिस पद के लिए वह चुना गया है, उससे अतिरिक्त न किसी अन्य पद पर नियोजित ही होगा।
- (2) कि उपयुक्त कथित विचार को ध्यान में रखकर और कथित करार के अनुसरण में प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग पत्र देता है या उक्त अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करते हुए कहीं और नियोजित होता है तो प्रशिक्षणार्थी और सरकार को वापस अदा करेंगे जो सरकार प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी को देती है, इसके साथ वे सब अन्य खर्चें भी सरकार को लौटायेंगे जो इसमें सरकार को करने पड़े। किन्तु, इसमें प्रासंगिक नियमों के अधीन प्रशिक्षणार्थी को दी गई यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी;

बशर्ते कि प्रशिक्षणार्थी और जामिनों को प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान वी हुई वह राशि तब तक नहीं लौटानी पड़ेगी जब सरकार की राय में प्रशिक्षणार्थी को दिया हुआ यह प्रशिक्षण किसी अन्य नियमित पर भी उपयोगी सिद्ध होता हुआ जान पड़े।

इसी के साक्ष्य स्वरूप यह बन्ध-पत्र प्रशिक्षणार्थी और जामिनों द्वारा उपर्युक्त अंकित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है-

प्रशिक्षणार्थी द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रथम जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

द्वितीय जामिन द्वारा हस्ताक्षरित

साक्षी.....

साक्षी.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जामिनों के पास अचल सम्पत्ति है और उस अचल सम्पत्ति का मूल्य रूपये से कम नहीं है।

कलकटर/प्रहायक कलकटर/

परगनाधिकारी/तहसीलदार

के हस्ताक्षर

विशेष ध्यान देने हेतु-इस प्रमाण पत्र में जो राशि भरी जाये वह उस समस्त अनुमानित राशि से कम नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को दी गई थी।

AGREEMENT

In consideration of the Governor of Rajasthan, having agreed to appoint me as a Sub-Inspector in the Police Department.

I, _____ Son of _____ hereby agree and undertake to :-

- i) Serve in the Police Department for a period of not less than five years with effect from the date of completion of my training.
- ii) carry out all duties entrusted to me and all lawful orders given to me by my superiors in rank.
- iii) refund the cost of training in addition to the pay and allowances received by me in the event of tendering my resignation from the force for any reason or reasons whatsoever during period of my training or thereafter during the aforesaid period of five years and
- iv) If I wish to resign before the expiry of the training period and five years thereafter I will submit my request in writing and will not withdraw from my duties until I am duly relieved.

2. I understand and agree that my services can be terminated :-

- a) by the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of my training or probation.
- b) by the Appointing Authority on my failure to pass the final examination of the initial training course.

Note:- The term pay and allowance used in clause (iii) above means the usual pay and allowances received by or accrued to him upto the date of his resignation.

Witness :

Signature _____
Designation _____
Date _____
Place _____

Signature of the Employee

Date _____
for and on behalf of the
Governor of Rajasthan.

ACCEPTED

(THE Appointing Authority)